Dr. Honey Sinha
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce

Lecture:-133

B.Com Part - Ist
Sub:- Auditing
paper - IInd

SNSRKS x COLLEGE x SAHARSA

Introduction :- INTERNAL CHECK AND AUDITOR.
(आन्तरिक निरीक्षण एवं अंकेक्षक)

* किसी भी अंकेक्षक को किसी संस्था का अंकेक्षण करने के पूर्व उस संस्था की आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था का अध्ययन कर लेना चाहिए क्योंकि किसी संस्था का अंकेक्षण उसकी आन्तरिक निरीक्षण के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। एक सुदृढ़ आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली से अंकेक्षण का काम सरल हो जाता है। आन्तरिक निरीक्षण कि सुसंगठित व्यवस्था कि स्थिति मे अंकेक्षक केवल परीक्षण जाँच से ही काम चला सकता है। आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था दोषपूर्ण होने पर अंकेक्षण का कार्य जटिल हो जाता है। उसे अधिक मेहनत करने कि आवश्यकता पड़ती है। अतः अंकेक्षक को अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यो कि जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। :—

(1) संस्था के आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह जानकारी संस्था के मालिक या प्रबंधको

से प्राप्त हो जाती है।

(2) अंकेक्षण को यह पता लगा लेना चाहिए कि संस्था में आन्तरिक निरीक्षण के आधार पर कार्य का निष्पादन होता है या नहीं।

(3) अंकेक्षक को यह भी देख लेना चाहिए कि संस्था में प्रयुक्त आन्तरिक निरीक्षण की प्रणाली वर्तमान परिवेश में प्रयुक्त है अथवा नहीं।

(4) आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली संस्था के स्वभाव तथा उसकी आवश्यकताओं के ही अनुरूप होनी चाहिए अतः अंकेक्षण को यह पता लगा लेना चाहिए कि संस्था में यह बात उपलब्ध है या नहीं।

(5) आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली का अवलोकन कर उसे यह पता लगाना चाहिए कि इस प्रणाली में कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं तथा किन-किन स्तरों पर छल-कपट व त्रुटियों कि सम्भावना है।

(6) अंकेक्षक को आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली के उपयुक्तता का भी पता लगा लेना चाहिए अर्थात उपयुक्त प्रणाली संस्था के लिए उपयुक्त है या नहीं।

उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए अंकेक्षण यह निर्णय ले सकता है कि आन्तरिक निरीक्षण की प्रणाली जो संस्था में अपनायी जा रही है,

उपयुक्त है या नही। यदि उपयुक्त है तभी उसे उस प्रणाली पर विश्वास करना चाहिए अन्यथा नही। हाँ, प्रणाली का मूल्यांकन करते समय उसे बुद्धिमता, दूरदर्शिता, सावधानी तथा सतर्कता से काम लेना चाहिए। उसे यह विश्वास है कि संस्था मे प्रयुक्त आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली उपयुक्त है तो उसे अंकेक्षण कार्य मे काफि मदद मिलेगी। दूसरी ओर आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली दोषपूर्ण होने की स्थिति मे अंकेक्षण को अंकेक्षक का कार्य करते समय बड़ी सतर्कता व बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। ताकि वह संस्था मे त्रुटियों व छल-कपटों (यदि हो) को ढूंढ सके। यदि अंकेक्षक इन बातो का ध्यान नही देता है अर्थात वह लेखा पुस्तकों की सही व गहन जाँच नही कर पाता है तो इसके लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर उत्तरदायी होगा। यदि अंकेक्षक को गलतियो छल-कपटों की जानकारी होती है तो उसे चाहिए कि उन गलतियों व छल-कपटों से संस्था के मालिक या नियोक्ता को अवगत करा दे। तथा उचित सलाह भी दे दे। यदि उसकी सलाह को नियोक्ता नही मानता है या परवाह नही करता है तो इन बातो का जिक्र अंकेक्षण को प्रतिवेदन मे मना कर देना चाहिए।

पुनः प्रश्न उठता है कि यदि संस्था की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद हो तो क्या अंकेक्षक अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो सकता

है? इस प्रश्न के उत्तर मे कहा जा सकता है कदापि नही। हाँ, यह बात सत्य है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली सुदृढ है तो अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य मे सुविधा होती है। इसके विपरीत, आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली सतोषप्रद नही होने अथवा दोषपूर्ण होने पर अंकेक्षक को कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य सरल हो अथवा कठिन, अन्तिम जिम्मेदारी अंकेक्षक पर बही होती है।

अंकेक्षक को सम्पूर्ण बातो की गहन जाँच स्वंय करनी चाहिए। किसी प्रकार कि अशुद्धि रह जाने पर वह उत्तरदायी बनाया जा सकता है। हालांकि यह अंकेक्षक का अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि वह सम्पूर्ण पुस्तको कि गहन जाँच करेगा या आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली पर विश्वास कर कुछ ही लेखा-पुस्तको की जाँच पड़ताल करके ही अपना प्रतिवेदन देगा। एक अंकेक्षक को इतनी स्वतंत्रता अवश्य है कि वह अपना कार्य करने का तरीका स्वंय निर्धारित करे, अथवा वह अपने उत्तरदायित्व का सीमा का निर्धारण स्वंय नही कर सकता है। अंकेक्षक आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था पर विश्वास कर अंकेक्षण मे परीक्षण जाँच विधि अपनाकर अपने कार्य की मात्रा को कम नही कर सकता है, किन्तु वैधानिक उत्तरदायित्व की मात्रा को कम नही कर सकता। अंकेक्षण के उत्तदायित्व नियोक्ता और उसके बीच हुए समझौते के आधार पर उत्पन्न होते है। इन्हे अंकेक्षक

किसी भी प्रकार कम नही कर सकता है। साथ ही साथ इनसे मुक्त भी नही हो सकता।

अत: संक्षेप मे कह सकते है कि आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अंकेक्षक को मानसिक परिशानियो से तो मुक्त कर सकती है किन्तु वैधानिक व उत्तरदायित्वो से मुक्ति नही दिला सकती।

The end

Dr. Honey Sinha
(Assistant professor)
Dept. of commerce
SNSRKS College
Saharsa